विविध **बैंक प्रकरण संख्या 135/2019(GCMS : 2018/00108) भारतीय स्टेट बैंक जरिये परमजीत कटारिया प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेक बैंक (रामसेक), द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स न्यू गर्ल्स प्लानेट जरिये प्रो. रवि सुखीजा पुत्र भानू प्रताप दुकान नं. 9 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.02.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थी मैसर्स न्यू गर्ल्स प्लानेट –प्रो. रवि सुखीजा द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी मैसर्स न्यू गर्ल्स प्लानेट –प्रो. रवि सुखीजा द्वारा द्वारा बंधक रखा गया स्टॉक (Readymade Garments, Hosiery Goods, Cosmetic Goods. Manyahri Goods. Footwear. Under Garments, Artiicial Jewellery, Gift Items[Deo, Googles, Leather Goods, Ladies Purse & Bags. Packing Materials etc.) सहित बैंक ऋण (वर्तमान एवं भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया दृष्टि बंधक की गई है, का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2019 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब इस प्रकरण में अप्रार्थी ने ऋण राशि जमा करवा दी है इसलिए अब प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और** यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 21.10.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी मैसर्स न्यू गर्ल्स प्लानेट –प्रो. रवि सुखीजा के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखे गए स्टॉक (Readymade Garments, Hosiery Goods, Cosmetic Goods, Manyahri Goods, Footwear, Under Garments, Artiicial Jewellery, Gift Items[Deo, Googles, Leather Goods, Ladies Purse & Bags, Packing Materials etc.) सहित बैंक ऋण (वर्तमान एवं भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया दृष्टि बंधक की गई है, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब प्रार्थी बैंक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि ऋणी ने बैंक की बकाया राशि जमा करवा दी है इसलिए वे इस प्रकरण में किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर अंकित किया है। इसलिए यदि इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि अब प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर की बकाया राशि अप्रार्थी ऋणी ने जमा करवा दी है इसलिए वे इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इसलिए उनके द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 21.10.2019 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्री गंगानगर